

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

धीठरसीन अधिकारी: श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या: 14 / 2021,

उत्तवान

1. धुलजी पिता माणकचन्द जैन जाति जैन निवासी लोहारिया तहसील गढ़ी जिला वांसवाडा ।
-: प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला वांसवाडा (राज.)।

-: अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 25.3.2025

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 5505 / 1 एवं 5503 वाके गांव लोहारिया तहसील गढ़ी जिला वांसवाडा (राज.) में स्थित है। प्रार्थी की भूमि के आगे सड़क सीमा में सर्वे नम्बर 5504 स्थित है। प्रार्थी की भूमि सर्वे नम्बर 5505 / 1 का पुराना सर्वे नम्बर 3573 एवं सर्वे नम्बर 5503 का पुराना नम्बर 3567 है जो राजस्व रिकार्ड के नक्षा ट्रेस सन् 1943 संवत् 1999 में दर्शाया है तथा नम्बर 5504 का पुराना नम्बर 3566 है। राजस्व नक्षा ट्रेस संवत् 1999 में प्रार्थी एवं अप्रार्थी की भूमि का नक्षा स्पष्ट है। सर्वे नम्बर 3566 का संवत् 1999 व वर्तमान नक्षा भिन्न है तथा उपरोक्त भिन्नता का लाभ उठाकर कुछ लोग सड़क सीमा की भूमि में अतिक्रमण करने आमादा है प्रार्थी की भूमि के आगे स्थित उक्त नक्षे में भिन्नता को सही कर पुर्ववत तरमीम दुरस्तीकरण बाबत प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्ट्र होकर अप्रार्थी के नाम सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी का जवाब पेश हुआ।

भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार पटवार हल्का लोहारिया के मौजा लोहारिया के सर्वेनम्बर 5505 रकबा 0.20 हे. व सर्वे नम्बर 5503 रकबा 0.01 हे. भूमि धुलजी, बदामीलाल पिता माणकचन्द जैन के नाम वर्ष 2059-62 में खाता संख्या 219 पर दर्ज रिकार्ड है। सर्वे नम्बर 5505 व सर्वे नम्बर 5503 के पुराने सर्वे नम्बर क्रमशः 3573 व 3567 है। गांव लोहारिया की वर्तमान सर्वे नम्बर 5503 व 5505 के सेटलमेंट पूर्व के सर्वे नम्बर 3567 व 3573 रकबा क्रमशः 0.01 हे0 व 0.20 हे0 भूमि लोहारिया-पालोदा रोड के उत्तर दिशा में स्थित है। उक्त दोनों आराजी सेटलमेंट के पूर्व में रोड से दूर सर्वे नम्बर (पुराना) 3566, 3568, 3569, 3570, 3571, व 3572 के बाद उत्तर दिशा में स्थित है जो वर्तमान रिकार्ड में भी स्थित है। रिकार्ड संधारण में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होना बताते हुए वर्तमान व पुराना नक्षा ट्रेस, जमाबंदी व तुलनात्मक नम्बरो की प्रति पेश की।


प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र व दस्तावेजो तथा भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेज नक्षा ट्रेस पुराना व नया, जमाबंदी व तुलनात्मक

उपखण्ड अधिकारी

Sub Officer

नकल का अवलोकन करने पर यह साबित होता है कि सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को सरे इजराय में सुनाया गया।


(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,

गढी
उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा